गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतम बुद्ध नगर

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की पन्द्रहवीं बैठक दिनाँक 15 अक्टूबर,2014 को प्रातः 11:30 बजे मा0 कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुएः

(क) कुलपतिः .... अध्यक्ष

1. डा0 जे.पी. शर्मा
कुलपति
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

(ख) प्राविधिक शिक्षा परिषद का एक नानिर्देशिति; ....सदस्य

2. प्रो0 रेनु बापना
सलाहकार(यू.बी.)
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
सातवां तल, चन्द्र लोक भवन
नई दिल्ली।

(ग) शिक्षा सोसायटी द्वारा निर्दिष्ट नामः ....सदस्य

3. प्रो0 ए.के. खरे
पूर्व प्रति कुलपति, यू.पी.टी.यू.
वर्तमान, मुख्य सलाहकार,
मा0 कुलाधिपति,
ज्ञान विहार विश्वविद्यालय
जयपुर – राजस्थान।

4. प्रो0 ओंकार सिंह
मा0 कुलपति
मदन मोहन मालवीय प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर – उत्तर प्रदेश।

5. प्रो0 डी0आर0 भास्कर
इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकाशन इंजीनियरिंग विभाग
फैकल्टी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी,
जामिया मिलिया इस्लामिया
जामिया नगर– नई दिल्ली।

(घ) विश्वविद्यालय के तीन आचार्यः ....सदस्य

6. प्रो0 अनुराधा मिश्रा
प्रोफेसर
एवं अधिष्ठाता शैक्षिक,
अधिष्ठाता, स्कूल आफ वोकेशनल स्टडीज एण्ड एप्लाईड साइंसेज,
अधिष्ठाता, नियोजन एवं शोध,
प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल आफ बायोटैक्नोलोजी,
प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल आफ आई.सी.टी.
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

7. डा0 सीमा द्विवेदी
एसोशिएट प्रोफेसर
एवं अधिठाता, छात्र कल्याण
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

(ङ) प्रत्येक संकाय से एक आचार्यः ....सदस्य

8. डा0 स्वेता आनन्द
एसोशिएट प्रोफसर
एवं प्रभारी अधिष्ठाता,
स्कूल आफ मैनेजमेंट
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

9. डा0नीति राणा,
एसोशिएट प्रोफेसर
एवं प्रभारी अधिष्ठाता,
स्कूल आफ बुद्धिष्ट स्टडीज एण्ड सिविलाईजेशन
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

10. डा0 अंजना सोलंकी
एसोशिएट प्रोफेसर
एवं प्रभारी अधिष्ठाता,
स्कूल आफ इंजीनियरिंग
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

11. डा0 इन्दु उप्रेती
एसोशिएट प्रोफेसर
एवं प्रभारी अधिष्ठाता
स्कूल आफ ह्युमैनिटीज एण्ड सोशल साइंसेज,
प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल आफ लॉ, जस्टिस एण्ड गवर्नेस

(च) औद्योगिक विकास विभाग से प्रतिनिधिः ....सदस्य

12. डा0 एम.के.एस. सुन्दरम
आई.ए.एस.
सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

13. श्री पुष्यपति सक्सेना ....सचिव
आई.ए.एस.
कुलसचिव,
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

विषेश आमंत्रित सदस्यः

14. श्री रमा रमन
आई.ए.एस.
अध्यक्ष,
नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
एवं
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

15. श्री के.के. सिंह
ओ0एस0डी0 (प्रोजेक्ट)
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा।

16. श्री पंकज शर्मा,
वित्त अधिकारी,
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

17. श्री ललित गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता,
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

18. श्री शमसुद्दीन अंसारी
सहायक कुलसचिव
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

:: कार्यवाही का विवरण ::

15.14.01 **<u>मा0 कुलपति महोदय द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया जाना।</u>**

प्रबन्ध बोर्ड के सम्मानित सदस्यों द्वारा संज्ञान में लिया गया।

15.14.02 **विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया जाना।**

प्रबन्ध बोर्ड के सम्मानित सदस्यों द्वारा संज्ञान में लिया गया।

15.14.03 **व्यवस्थापक बोर्ड के पुर्नगठन के सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड को अवगत कराना।**

माननीय सदस्यों द्वारा जिन व्यवस्थापक बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो गया है उनकी सेवाओं एवं सहयोग का उल्लेख करते हुए धन्यवाद ज्ञाप निर्गत किए जाने का अनुमोदन किया गया।

15.14.04 **प्रबन्ध बोर्ड के पुर्नगठन के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराना।**

प्रबन्ध बोर्ड के सम्मानित सदस्यों द्वारा संज्ञान में लिया गया।

15.14.05 **प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँकः 10 जुलाई, 2012 को सम्पन्न हुई चौदहवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँक 10 जुलाई,2012 को सम्पन्न हुई चौदहवीं बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के सम्मानित सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

15.14.06 **प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँकः 10 जुलाई, 2012 को सम्पन्न हुई चौदहवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही का विवरण।**

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँक 10 जुलाई,2012 को सम्पन्न हुई चौदहवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही के विवरण को बोर्ड द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

15.14.07 **विश्वविद्यालय में रिसर्च/फैकल्टी एसोशिएट के पद पर चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों का अनुमोदन।**

प्रबन्ध बोर्ड के सम्मानित सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में रिसर्च/फैकल्टी एसोशिएट के पद पर चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के सम्बन्ध में कार्यभार ग्रहण की तिथि और चयन प्रक्रिया पूर्ण विवरण सहित आगामी प्रबन्ध बोर्ड में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

15.14.08 **विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले संकाय सदस्यों का विवरण।**

माननीय सदस्यों के समक्ष विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले संकाय सदस्यों का विवरण, कार्यभार ग्रहण की तिथि और चयन प्रक्रिया पूर्ण विवरण सहित आगामी प्रबन्ध बोर्ड में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

15.14.09 **विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों/शिक्षणेत्तर अधिकारी/कर्मचारी की सेवाऐं समाप्त किये जाने / संविदा अवधि न बढाये जाने / त्याग पत्र स्वीकृत होने पर कार्यमुक्त होने वाले संकाय सदस्यों/शिक्षणेत्तर अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण।**

विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों/शिक्षणेत्तर अधिकारी/कर्मचारी की सेवाऐं समाप्त किये जाने / संविदा अवधि न बढाये जाने / त्याग पत्र स्वीकृत होने पर कार्यमुक्त होने वाले संकाय सदस्यों/शिक्षणेत्तर अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण सेवा समाप्ति/संविदा अवधि न बढ़ाये जाने के कारण प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

15.14.10 **विद्या परिषद की दिनाँक 03.09.2013 को सम्पन्न हुई ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थः**

विद्या परिषद की दिनाँक 03.09.13 को सम्पन्न हुई ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

15.14.11 **विद्या परिषद की दिनाँक 20.09.2014 को सम्पन्न हुई बारहवीं बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थः**

विद्या परिषद की दिनाँक 20.09.2014 को सम्पन्न हुई बारहवीं बैठक के परीक्षा से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 5.9 आगामी विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया। शोध से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 6.1 सुझाव दिया गया कि Good Academic Record की पंक्ति को हटाया जाये एवं एक Relevant/Allied Area wise list तैयार कर आगामी विद्या परिषद की बैठक में प्रस्ततु की जाये। बिन्दु संख्या 6.16(a) में शोध से सम्बन्धित दो विषय विशेषज्ञों के स्थान पर कम से कम तीन विषय विशेषज्ञों को शोध ग्रन्थ भेजा जाये जिसमें से यदि दो विषय विशेषज्ञों की आख्या संतोषजनक हो तो उक्त शोध ग्रन्थ को अग्रिम कार्यवाही के लिये प्रस्तुत किया जाये। प्रवेश के सम्बन्ध मे बिन्दु संख्या iii (2) में अंकित किसी अन्य राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के स्कोर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की रिक्त सीटो पर प्रवेश हेतु ही माना जाये।

विद्या परिषद द्वारा प्रस्तुत कार्यवृत्त के अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

15.14.12 **वित्त समिति की दिनाँक 03.09.2013 एवं 22.09.2014 को सम्पन्न हुई तेरहवीं एवं चौदहवीं बैठकों के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ।**

वित्त समिति की दिनाँक 03.09.2013 को हुई तेरहवीं एवं दिनाँक 22. 09.14 को हुई चौदहवीं बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये।

15.14.13 **वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 का अनुमानित आय व्ययक(बजट) पर विचार एवं अनुमोदन।**

प्रबन्ध बोर्ड के सम्मानित सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 का अनुमानित आय व्ययक(बजट) को अनुमोदन किया गया।

15.14.14 विश्वविद्यालय परिसर के आवासीय भवनों में प्रीपेड विद्युत मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के आवासीय भवनों में प्रीपेड विद्युत मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

15.14.15 गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के आवासीय भवनों में विद्युत की दरें निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के आवासीय भवनों में विद्युत की दरें निर्धारित करने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

15.14.16 विश्वविद्यालय अनुरक्षण विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति दो वर्ष हेतु समेकित वेतन पर संविदा के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।

विश्वविद्यालय अनुरक्षण विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति दो वर्ष हेतु समेकित वेतन पर संविदा के आधार पर किये जाने का अनुमोदन प्रबन्ध बोर्ड के सम्मानित सदस्यों द्वारा किया गया।

15.14.17 गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय परिसर निर्मित इन्टरनेशनल सेन्टर का नाम बदलकर कन्वेंशन सेंटर रखे जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय परिसर निर्मित इन्टरनेशनल सेन्टर का नाम बदलकर कन्वेंशन सेंटर रखे जाने को अनुमोदित किया गया।

15.14.18 गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित स्कूल भवनों के आवंटन के सम्बन्ध में।

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित स्कूल भवनों के आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव को प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

15.14.19 विश्वविद्यालय में नवनिर्मित छात्रावासों के नामांकरण के सम्बन्ध में सूचनार्थ।

प्रबन्ध बोर्ड को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में 03 महिला छात्रावासों एवं 06 पुरूष छात्रावासों का निर्माण किया गया है। उक्त छात्रावासों के नामकरण हेतु शासन को पत्र संख्या जी.बी.यू.–002/प्रशा./7.1/2014–499 दिनॉंक 16.07.14 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा नवनिर्मित छात्रावासों का नामकरण निम्नवत् अनुमादित किया गया है:

महिला छात्रावास

1. महादेवी वर्मा
2. रानी लक्ष्मीबाई
3. इस्मत चुगताई

पुरूष छात्रावास

1. तुलसीदास
2. मुंशी प्रेमचन्द
3. राम शरण दास
4. मलिक मोहम्मद जायसी
5. कबीर दास
6. रहीम

उपरोक्त प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अवलोकन के उपरान्त अनुमोदित किया गया।

15.14.20 भवन आवंटन समिति की संस्तुति पर विचार एवं निर्णय।

प्रबन्ध बोर्ड के संज्ञान में लाया गया कि प्रबन्ध बोर्ड की 14वीं बैठक के बिन्दु संख्या 14.12.05(1) के अर्न्तगत निम्नवत् निर्णय लिया गया था

भवन आबंटन समिति द्वारा टाईप–V तथा टाईप–VI के आवासों के आवंटन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की अंतरिम व्यवस्था को समाप्त करने की संस्तुति की गई। इसका अनुमोदन प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया गया।

15.14.21 विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट (एम.ए. एवं एम.एस.सी.) में अध्ययनरत छात्रों को छात्रावास में नही रहने की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।

विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट (एम.ए. एवं एम.एस.सी.) में अध्ययनरत छात्रों को छात्रावास में नही रहने की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के पुर्णरूप से आवासीय होने के कारण आगामी शैक्षिक सत्र से छात्रावास में रहने से छूट न दिये जाने का निर्णय लिया गया। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सुझाव दिये गये कि आगामी शैक्षिक सत्र में ऐसे पाठ्यक्रम डिजाइन किये जाये/संचालित किये जाये जिनमें छात्र पूर्णरूप से आवासीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आकर्षित हों। इसके साथ ही सत्र 2013–14 तथा 2014–15 में लागू किए गए छूट के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों द्वारा किया गया।

15.14.22 विश्वविद्यालय में विधिक प्रकोष्ठ बनाये जाने पर विचार एवं निर्णय।

प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय में विधिक प्रकोष्ठ बनाये जाने हेतु एक विधिक सलाहकार एवं दो सहायक विधिक सलाहकारों की नियुक्ति किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

15.14.23 संशोधित अध्यादेश (Ordinance) पर विचार एवं निर्णय।

प्रबन्ध बोर्ड की प्रथम बैठक में अनुमोदित अध्यादेश की धारा 14 में विश्वविद्यालय में लागू होने वाले अवकाश नियमों सम्बन्धी संशोधित अध्यादेश निम्नानुसार संशोधन के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

Clause No.	Present Clause	Proposed Clause	Approved Clause
14.0	**Duty Leave** (i) Duty leave may be granted only to the Faculty members of the University. (a) Attending conference, Congresses, symposia and seminars on behalf of the University or with the permission of the University. (b) delivering lectures in institutions and Universities at the invitation of such institutions or Universities received by this University and accepted by the Vice Chancellor; (c) Working in another Indian or Foreign University, any other agency, Institutions or organization when so deputed by the University, or for performing any other duty for the University; (d) Participating in a delegation or working on a Committee appointed by the Government of India, State Government, the University Grant Commission, a sister University or any other Academic body, and ; (e) For performing any other duty for the University. (ii) The duration of leave should be such as may be considered necessary by the sanctioning authority on each occasion. (iii) The leave may be granted of full pay. Provided that if the faculty member receives a fellowship or honorarium or any other financial assistance beyond the amount needed for normal expenses, he/she may be sanctioned duty leave on reduced pay and allowances. (iv) Duty leave may be combined with earned leave, half pay leave of extraordinary leave.	**Duty Leave** (i) Duty leave may be granted only to the employees of the University. (a) Attending conference, Congresses, symposia and seminars on behalf of the University or with the permission of the University. (b) delivering lectures in institutions and Universities at the invitation of such institutions or Universities received by this University and accepted by the Vice Chancellor; (c) Working in another Indian or Foreign University, any other agency, Institutions or organization when so deputed by the University, or for performing any other duty for the University; (d) Participating in a delegation or working on a Committee appointed by the Government of India, State Government, the University Grant Commission, a sister University or any other Academic body, and ; (e) For performing any other duty for the University. (f) The duration of duty leave should not be more than 30 days in one calendar year. Duty leave may be combined with earned leave.	**Duty Leave** (i) Duty leave may be granted only to the Faculty members of the University. (a) Attending conference, Congresses, symposia and seminars on behalf of the University or with the permission of the University. (b) delivering lectures in institutions and Universities at the invitation of such institutions or Universities received by this University and accepted by the Vice Chancellor; (c) Working in another Indian or Foreign University, any other agency, Institutions or organization when so deputed by the University, or for performing any other duty for the University; (d) Participating in a delegation or working on a Committee appointed by the Government of India, State Government, the University Grant Commission, a sister University or any other Academic body, and ; (e) For performing any other duty for the University. (f) The duration of duty leave should not be more than 30 days in one calendar year.

Clause No.	Present Clause	Proposed Clause	Approved Clause
14.14	**Child Care Leave** Women Employee having minor Children may be granted Child Care Leave for a Maximum period of 730 days during their entire service for taking care of up to two children, whether for rearing or to look after any of their needs like examination, sickness, etc. Child Care Leave shall not be admissible if the child is eighteen years of age or older. During the period of such leave, the women employees shall be paid leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave. It may be availed of in more than one spell. Child Care Leave shall not be debited against the leave Account. Child care leave may also be allowed for the third year as leave not due (without production of medical certified). It may be combined with leave of the kind due and admissible. Conditions: i. Can be availed only if there is no Earned leave at credit. ii. Requires prior sanction. **iii.** Intervening holiday will count as Child Care Leave as in the case of Earned Leave.	**Child Care Leave** Women Employees having minor Children may be granted Child Care Leave by an authority competent to grant for a Maximum period of 730 days during their entire service for taking care of up to two eldest surviving children below 18 years, whether for rearing or to look after any of their needs like examination, sickness, etc. During the period of such leave, the women employees shall be paid leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave. It may be availed of in more than one spell. Child Care Leave shall not be debited against the leave Account. **Conditions:** i. Can be availed only if there is no Earned leave at credit. ii. Requires prior sanction. iii. Intervening holiday will count as Child Care Leave as in the case of Earned Leave. iv. For women employees having minor Children (Below 18 years) v. If child (aged up to 22 years) is disabled (40% disability), a certificate regarding disability must be produced along with certification by the employee that the child is dependent. vi. Maximum for a period of 2 years (730 days) during the entire service. vii. CCL shall not be granted for a period of less than 15 days and upto a maximum of 60 days in a calendar year. viii. CCL will also be applicable to adoptee mothers. **ix.** The leave is to be treated like earned leave and sanctioned as such. Saturday, Sunday and gazetted holidays will also count like in earned leave.	**Child Care Leave** Women Employees having minor Children may be granted Child Care Leave by an authority competent to grant for a Maximum period of 730 days during their entire service for taking care of up to two eldest surviving children below 18 years, whether for rearing or to look after any of their needs like examination, sickness, etc. During the period of such leave, the women employees shall be paid leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave. It may be availed of in more than one spell. Child Care Leave shall not be debited against the leave Account. **Conditions:** i. Requires prior sanction. ii. Intervening holiday will count as Child Care Leave as in the case of Earned Leave. iii. For women employees having minor Children (Below 18 years) iv. If child (aged up to 22 years) is disabled (40% disability), a certificate regarding disability must be produced along with certification by the employee that the child is dependent. v. Maximum for a period of 2 years (730 days) during the entire service. vi. CCL shall not be granted for a period of less than 15 days and upto a maximum of 60 days in a calendar year. vii. CCL will also be applicable to adoptee mothers. **viii.** The leave is to be treated like earned leave and sanctioned as such. Saturday, Sunday and gazetted holidays will also count like in earned leave.

15.14.24 विश्वविद्यालय में माननीय लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन दिनाँक 9.7.13 के क्रम में प्रेषित **Action Taken Report** को प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाना।

विश्वविद्यालय में माननीय लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन दिनाँक 9.7.13 के क्रम में प्रेषित Action Taken Report के सम्बन्ध में माननीय लोकायुक्त की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में पुस्तकाल्य के सम्बन्ध में गटित समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या को माननीय सदस्य प्रबन्ध बोर्ड द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं निर्देशित किया गया कि अग्रेत्तर कार्यवाही कुलसचिव, वित्त अधिकारी, सम्बन्धित अधिष्ठाता एवं वाह्य विषय विशेषज्ञ की समिति के माध्यम से की जाए।

माननीय लोकायुक्त की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 06 के क्रम में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपार्ट (पार्ट–1) को प्रबन्ध बोर्ड के समस्त सदस्यों द्वारा सराहा गया एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया जो निम्नप्रकार हैः

1. प्रो0 ओंकार सिंह
मा0 कुलपति
मदन मोहन मालवीय प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर – उत्तर प्रदेश।

2. प्रो0 रेनु बापना
सलाहकार(यू.बी.)
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
सातवां तल, चन्द्र लोक भवन
नई दिल्ली।

3. कुलसचिव, ...समन्वयक
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

15.14.25 विषय विशेषज्ञों की सूची पर विचार एवं अनुमोदन

विषय विशेषज्ञों की सूची प्रस्तुत की गई तथा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उसका अनुमोदन किया गया।

15.14.26 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार।**

(i) कुलसचिव को वित्तीय स्वीकृति करने की सीमा रू0 50,000/– से बढ़ाकर रू0 1,00,000/– करने के कुलपति महोदय के आदेश का अनुमोदन प्रबन्ध बोर्ड के सम्मानित सदस्यों द्वारा किया गया।

(ii) प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा Child Education Allowance के सम्बन्ध में प्रस्ताव आगामी वित्त समिति के समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया गया।

(पुष्यपति सक्सेना)
सचिव, प्रबन्ध बोर्ड
एवं
कुलसचिव
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

(डा0 जे0पी0 शर्मा)
अध्यक्ष, प्रबन्ध बोर्ड
एवं
कुलपति
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय